1. श्री [illegible] पिता तोलीराम डांगी निवासी सुखेर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर ।

2. श्री मोहनलाल पिता तोलीराम डांगी निवासी सुखेर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर ।

3. श्री [illegible] पिता तोलीराम डांगी निवासी सुखेर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर ।

4. श्रीमती [illegible] पत्नी तोलीराम डांगी निवासी सुखेर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर ।

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित : 1–श्री शरीफ मोहम्मद सिंधी, अधिवक्ता वादीया

2– श्री गजैन्द्र ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 20.03.17

1. वादीया द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर निवेदन किया कि मौजा राणाकुई पटवार हल्का बालाथल तहसील वल्लभनगर में स्थित आराजी नम्बर 13/2क मी., 13/4क, 22/12 किता–3 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता एवम प्रतिवादी संख्या–4 के पति तोलीराम पिता नारू डांगी के नाम 10/364 हिस्से से दर्ज थी । और तोलीराम का निधन हो जाने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 890 से प्रतिवादीगणों के नाम 10/364 हिस्से से है । उक्त वर्णित भूमि के खातेदार श्री तोलीराम पिता नारू डांगी ने अपना सम्पूर्ण 10/364 हिस्सा कब्जा निकास पेसार के कुलिया हक सहित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.12.10 को 40,000/– के प्रतिफल में वादीया को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से वादीया का

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिसके पड़ौस इस प्रकार है कि पूर्व में– श्रीमती रमादेवी पत्नी शुभकरन देवल की भूमि, पश्चिम– श्रीमती रमादेवी पत्नी शुभकरन देवल की भूमि, उत्तर–आम रास्ता, दक्षिण–श्रीमती रमादेवी पत्नी शुभकरन देवल की भूमि, । खातेदार श्री तोलीराम का निधन हो जाने से उक्त भूमि उनके वारिसान में हिस्सा बराबर से निहीत हुई है । उक्त वर्णित भूमि राजस्व रेकार्ड में वादीया के नाम नहीं होने से वादीया को ऋण लेने, लगान जमा कराने आदि में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिससे उक्त क्रय शुदा भूमि वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है ।

2. बिनाय वाद दिनांक 25.05.16 को उत्पन्न हुआ जब वादीया ने प्रतिवादीगणों को भूमि अपने नाम खाते कराने को कहा तो उन्होनें कहा कि कानूनी कार्यवाही कराओ तब से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

3. अतः प्रार्थना है कि वादीया के पक्ष में एवम प्रतिवादीगणों के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमायी जावे कि वाद वर्णित भूमि के 10/364 का प्रतिवादीगण के बजाय वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

4. वादीया द्वारा वाद पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2049–52, विक्रय पत्र दिनांक 15.12.2010 पेश किये गये है ।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 4 जरिये अधिवक्ता स्वीकारात्मक जबाब दावा पेश किया । प्रतिवादीगण द्वारा घोषणा सम्बन्धी अनुतोष को डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति पेश नहीं की । वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 श्रीमती सोहनीबाई स्वयं वादीया द्वारा पेश किया गया है जो कि वाद की पुष्टि करता है ।

6. हमनें विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस को समायत किया । प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों पर मनन् किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया । हम इस

में स्थित आराजी नम्बर 13/2क मी., 13/4क, 22/12 किता–3 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता एवम प्रतिवादी संख्या–4 के पति तोलीराम पिता नारू डांगी के नाम 10/364 हिस्से से दर्ज थी । श्री तोलीराम पिता नारू डांगी का निधन हो जाने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 890 से प्रतिवादीगणों के नाम 10/364 हिस्सा दर्ज हुआ है । उल्लेखनीय है कि खातेदार श्री तोलीराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 15.12.10 को 40,000/– के प्रतिफल में वादीया को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से वादीया का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिसके पड़ौस इस प्रकार है कि पूर्व में– श्रीमती रमादेवी पत्नी शुभकरन देवल की भूमि, पश्चिम– श्रीमती रमादेवी पत्नी शुभकरन देवल की भूमि, उत्तर–आम रास्ता, दक्षिण–श्रीमती रमादेवी पत्नी शुभकरन देवल की भूमि, । खातेदार श्री तोलीराम का निधन हो जाने से उक्त भूमि उनके वारिसान में हिस्सा बराबर से निहीत हुई है । उक्त वर्णित भूमि राजस्व रेकार्ड में वादीया के नाम नहीं होने से वादीया को ऋण लेने, लगान जमा कराने आदि में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिससे उक्त क्रय शुदा भूमि वादीया को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है । प्रतिवादीगणों द्वारा भी स्वीकारात्मक जबाब पेश किया है अर्थात उक्त 10/364 हिस्सा वादीया के नाम कर दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद सम्पूर्ण तथ्यों से साबित पाया जाता है ।

7. अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा राणाकुई पटवार हल्का बालाथल तहसील वल्लभनगर में स्थित आराजी नम्बर 13/2क मी., 13/4क, 22/12 किता–3 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 10/364 हिस्सा प्रतिवादीगणों के स्थान पर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । उक्त हिस्से से प्रतिवादीगणों का नाम हटाये जावे ।

पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

9. निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया ।

(वार सिंह) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर